तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	23/1/2026 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते पलही दिनांक 20/2/26 को पेश हो। आज्ञा से रीडर
	20/2/2026 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते पलही दिनांक 10/4/26 को पेश हो। आज्ञा से रीडर
10/4/2026 अपीलांट 3 के खिलाफ कोई डाक नहीं चाहिए	[illegible] अपीलांट [illegible] अपीलांट 03 के खिलाफ [illegible] पत्रावली [illegible] है। इस [illegible] पत्रावली [illegible] 1450 [illegible] आरोपित संयुक्त खातेदारी की आराजनात है। जो बिना विधिवत विभाजन के अपीलांट संख्या 1 व 2 मूर्त-मूर्त बयाने पर आमादा है। अतः मूल वाद 11/2024 के निर्णय व डिक्री [illegible] 437, 438 कुल क्षेत्र 02 कुल रकबा 0.10 हेक्टेयर में [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने। पत्रावली केवल [illegible] होने पर [illegible] आदेश सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़